यू०एस० तोमर
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ.
दूरभाष संख्या: 0522- 2732193. फैक्स नं0 0522-2732185

पत्र सं0:उ0प्र0प्रा0वि0/रा0प्र0प0/2010/432 दिनांक: 23 अप्रैल, 2010

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य/डीन
उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
निजी क्षेत्र में स्थापित समस्त संस्थाएं।

विषय: ट्यूशन फी वेवर स्कीम के तहत् प्रवेश दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप) की वेबसाइट www.aicte-india.org पर प्रदर्शित सूचना का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त वेबसाइट पर Chapter-V में Approval process for supernumerary seats under Tution Fee Waiver Scheme के विषय में सूचित किया गया है कि इस स्कीम के तहत् स्वीकृत क्षमता के ऊपर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु जो संस्थाएं इच्छुक हों अथवा भाग लेना चाहती हों को उन्हें अभातशिप के उक्त AICTE webportal पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए Compliance report द्वारा आन लाइन आवेदन करना होगा। इस हेतु संस्थाओं को अभातशिप के निर्धारित फार्मेट पर एक एफिडेविट देना होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अपेक्षित है कि लाभार्थी से पूरे कोर्स हेतु ट्यूशन फीस नहीं लिया जायेगा। इस हेतु संस्थाओं से आवेदन पत्रों के निस्तारण के उपरान्त सहमति पत्र (Letter of Acceptance, LOA) निर्गत किये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 10.4.2010 निर्धारित है।

उक्त के क्रम में सूचित करना है कि आपकी संस्था से ट्यूशन फी वेवर स्कीम के तहत् अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पूर्व में आवेदन किया गया है तो तद्स्थिति में अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् उसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे कि उक्त सीटों पर अभातशिप एवं पूर्व में निर्गत शासनादेशों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न होने वाली आन लाइन काउन्सिलिंग के माध्यम से मेरिट के आधार पर तदनुसार सीटों का आवंटन करने के विषय में आपकी संस्था को सूचित किया जा सके।

भवदीय,

(यू0 एस0 तोमर)
कुलसचिव